बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः— मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु—05 / 2025 268 / पटना, दिनांक— 20-01-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः— मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष—4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—103, उप शीर्ष—0122, विपत्र कोड—37—4515—00—103—0122—53—01—V के अन्तर्गत बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी—2 के अधीन औराई प्रखंड के "Construction of HL RCC Bridge over Lakhandei River at Basua Village" पुल का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष—4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—103, उप शीर्ष—0122, विपत्र कोड—37—4515—00—103—0122—53—01—V के अन्तर्गत बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी—2 के अधीन औराई प्रखंड के "Construction of HL RCC Bridge over Lakhandei River at Basua Village" पुल का निर्माण कार्य योजना जिसकी कुल लम्बाई 45.36 मी० के निर्माण की राशि ₹ 457.53 लाख रुपये, अनुरक्षण की राशि ₹ 0.94 लाख रुपये एवं कंटिजेंसी की राशि ₹ 08.59 लाख रुपये कुल राशि ₹ 467.06 लाख रुपये (चार करोड़ सड़सठ लाख छः हजार रुपया) मात्र है— हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2024—25 एवं 2025—26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इस योजना का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष—4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, विपत्र कोड—37—4515—00—103—0122—53—01—V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस योजना के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष—4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, विपत्र कोड—37—4515—00—103—0122—53—001—V के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में 05.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता–5 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इस योजना की स्वीकृति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा 2024–25 के दौरान की गयी है।
10. इस योजना की स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु–05/2025 के पृष्ठ संख्या–08/टि० पर प्राप्त है।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु–05/2025 के पृष्ठ संख्या–04/टि० पर दिनांक 15.01.2025 को प्राप्त है।
12. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेश में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।
19. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु–05/2025 268 /पटना, दिनांक– 20-01-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु–05/2025 268 /पटना, दिनांक– 20-01-2025

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु–05/2025 268 /पटना, दिनांक– 20-01-2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग /मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–5, ग्रामीण कार्य विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव